**मुस्लिम कानून**

**(Mohammden Laws)**

**(तुरन्त मेहर की वसूली का वाद)**

**(Suit for recovery of prompt Dower)**

न्यायालय............

वाद नंबर ............ सन् ...........

अ०ब०स० ............ वादी

**बनाम**

सद०फ० ............ प्रतिवादी

श्रीमान जी,

उपरोक्त नामित वादी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करती है :

1. 1. यह कि वादनी का विवाह प्रतिवादी के साथ दिनांक ............ को मुस्लिम कानून और रीति रिवाज के अनुसार जो कि भारत में सुन्नी लोगों पर लागू होते है, हुआ था और अकन रु० ............. मेहर निश्चित हुआ था जिसमें से रु० ............ का तुरन्त मेहर अदा किया जाना भी तय हुआ था। दोनों पक्षकार सुन्नी मुस्लिम हैं । विवाहोत्तर सहवास/संभोग ।। हुआ था।
2. यह कि प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त तुरन्त मेहर का भुगतान नहीं किया गया और एक के बाद एक बहाना बनाकर भुगतान को टालता आ रहा है।
3. यह कि वाद का हेतुक दिनांक ............ को तब उत्पन्न हआ जब प्रतिवादी द्वारा तुरन्त मेहर का भुगतान करने से इन्कार कर दिया। इस न्यायालय को वाद को सनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त
4. यह कि वाद का मूल्यांकन अंकन रु० ....................... किया गया जो कि तुरन्त मेहर की धन राशि है जो विवाह के समय तय की गई थी और माँगे गये अनतोष के अनसार ही न्याय शुस भुगतान किया गया है।

इसलिए वादनी उक्त धनराशि के भुगतान के लिए सविनय निवेदन करती है और अन्य कार धन राशि जो यह मान्य न्यायालय उचित समझे जो तरन्त मेहर के रूप में हो। दिलाने की कृपा करे

**स्थान ............ दिनांक........ वादनी.............**

**द्वारा अधिवक्ता ..........**

**सत्यापन**

मैं कि उपरोक्त वादनी यह सत्यापित करती हैं कि पैरा 1 व 2 के तथ्य वाद पत्र में मेरी जानकारी में सत्य है और पैरा 3 और 4 के तथ्य कानुनी सलाह के आधार पर दिये गये हे जो मेरे विश्वास में सत्य है.

सत्यापित-स्थान ............ दिनांक ............. दिन ............ (वादनी)